ग्राम पंचायत टिक्करी, विकास खण्ड भटियात व तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि:-01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 {क} प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिक्करी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री तिलक राज	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्रीमति शकुन्तला देवी	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अर्जुन कुमार	09/2009 से 03-12-16
2.	श्री मदन लाल	04-12-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.30
2	7	अनुदान राशियों का अवरोधन	10.92
3	13	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना क्रय	3.29
4	14	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	4.36

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टिक्करी, विकास खण्ड भटियात, तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2015 से 31/03 /2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियन्त्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21-05-2018 से 24 -05-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय

टिक्करी में किया गया ।आय की विस्तृत जाँच के लिए माह **05 /15 ,09/16 व 06/17** तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह **08/15,03/17 व 09/17** को चयनित किया गया ।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत टिक्करी, विकास खण्ड **भटियात,** जिला चम्बा के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹7200** बनता है ।उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: **129 दिनांक 19-05-17** द्वारा सचिव,पंचायत **टिक्करी** से अनुरोध किया गया ।उक्त राशि को सचिव ग्राम पंचायत द्वारा बैंक ड्राफ्ट सं 540637 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत टिक्करी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत टिक्करी के अवधि 4/15 से 3/18 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1000	12907	13907	13130	777
2016-17	777	15535	16312	39201	-22889
2017-18	-22889	74282	51393	51293	100

(ख) अनुदान :-ग्राम पंचायत टिक्करी के अवधि 1.4.15 से 31.3.18 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015 -16	562839	936424	1499263	1327684	171579
2016-16	171579	2327402	2498981	1879424	619557
2016-17	619557	3703217	4322774	3230444	1092330

31-3-18 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB sihunta	19010106067	416182
2.	----do------	19010110551	34077

3.	----do-----	19010110552	43598
4.	-----do----	19010112088	330628
5.	-----do----	19010112186	159878
6.	-----do----	19010110553	113897
7.	-----do----	19010106719	2370
		Total	**1100630**

(ग) बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-18 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹1100630

(ख)दिनांक 31-3-18 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख):- ₹1092430

अन्तर :- 8200

अन्तर का कारण :-

चैक जारी किए परन्तु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए :-

चैक न०	दिनांक	फर्म का नाम	राशि
943438	24-03-18	जोगिन्दर सिंह	6000
943443	24-03-18	स्वर्ण सिंह	1400
943445	24-03-18	मनोज कुमार	800
		जोड़	**₹8200**

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत टिक्करी की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था l जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 7 (3)एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ द्वारा का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था । अत:पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अत: भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5 **बजट प्राक्कलन रजिस्टर प्रस्तुत न करनाः–**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलन रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा किए गए व्यय को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी l अत:बजट रजिस्टर उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 **पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-18 को ₹30280 पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष था जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाएः–

गृहकरः–

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2015-16	0	6620	6620	0	6620
2016-17	6620	6620	13240	60	13180
2017-18	13180	17100	30280	0	30280

7 **अनुदान ₹10.92 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक ₹1092330 अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा ।अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 126 दिनांक 24-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 **बिक्री कर ₹830 का अनियमित भुगतानः–**

वाउचर संख्या 45 माह 08/15 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹17428/- का भुगतान मै० गर्ग इंटरप्राइजेज गग्गल को उनके बिल सं 0009 दिनांक 24-08-15 अनुसार स्पोर्ट्स किट हेतु किया गया l उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदाओं की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में **₹830** विक्रय कर की राशि अलग से वसूल की गई थी जो कि अनुचित है। अतः उक्त विक्रय-कर की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 यात्रा भत्ता ₹0.001 लाख का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव ग्राम पंचायत को निम्न विवरणानुसार यात्रा भत्ते के रूप में ₹1216 का अधिक भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

वाउचर सं	माह	यात्रा की अवधि	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अन्तर
56	02/16	2-09-15 से 24-02-16	4420	3780	640
59	02/16	13-12-15 से 6-01-16	3960	3384	576
			कुल अधिक भुगतान		**1216**

10 क्रय की गई निर्माण सामग्री ₹0.20 लाख का अनियमित भुगतानः–

पंचायत द्वारा ₹20000 का निम्न वर्णित सामान का क्रय किया गया परन्तु भुगतान अनियमित प्रकार से अन्य व्यक्ति श्री विकास गुप्ता को चैक संख्या 988546, दिनांक 18.5. 2016 द्वारा किया गया। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹20000 की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

वाउचर सं	माह	फर्म का नाम	बिल सं	दिनांक	राशि	विवरण
8	05/16	सिविल सप्लाई कारपोरेशन	87105	7-08-15	15975	50बैग सीमेंट
9	05/16	सुकेर सिंह कथियाली	शून्य	शून्य	4025	80.5 ft रेत
				कुल जोड़	**₹20000**	

11 मजदूरी के रूप में ₹180 का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ 51 माह 6/2016 में निर्माण कार्य "रास्ता दया राम के घर से राकेश हाउस" तक तथा "वाटर टैंक टिक्करी" के मस्ट्रोलों अवधि 1.6.2016 से 10.6.2016 में दिनांक 3.6.2016 को मजदूर श्री सरवन कुमार सुपुत्र श्री पांणा राम की उक्त दोनों निर्माण कार्य में उपस्थिति लगाकर ₹180 का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया। अतः अनियमित भुगतान बारे स्पष्टीकरण दिया जाए व अधिक भुगतान की तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त चूककर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवही की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितता न दोहराई जा सके।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारेः-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था l निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई , जिसके अभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना सं 128 दिनांक 24-05-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाएः–

क्रम सं	**कार्य का नाम**	**शीर्ष**
1.	मुरम्मत पक्का रास्ता में रोड से पंचायत घर	14 वां वित्त आयोग
2.	मुरम्मत पक्का रास्ता गस्तीनी से देहरी	यथोपरि
3.	मुरम्मत रास्ता घोठ से जीपीएस छीरडी	यथोपरि
4.	मुरम्मत रास्ता जी.पी.एस.थकोली से मशीन	यथोपरि
5.	मुरम्मत रास्ता नलसेरा से रल्गोठु	यथोपरि
6.	मुरम्मत रास्ता में सड़क से नंदनी देवी के घर से पंचायत घर तक	यथोपरि
7.	निर्माण पंचायत घर टिक्करी	13वां वित्त आयोग
8.	निर्माण रास्ता जीपीएस कथियाडी से वार्ड	सामान्य निधि

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.29 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है l व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹329398** के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया l जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 127 दिनांक 24-05-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत टिक्करी को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया l जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है l अतः स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को

स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

14 क्रय की गई ₹4.36 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 व 28 में लेखाकन किया जाना है l परन्तु पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट-3** पर **₹436105** की क्रय की गई सामग्री का भण्डार से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अधियाचना सं 127 दिनांक 24-05-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत टिक्करी को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिससे अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी l अत: इसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त सामग्री के स्टॉक रजिस्टर से आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

15 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है l अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 128 दिनांक 24-05-18 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत टिक्करी को अवगत करवाया गया परन्तु बार-बार कहने पर भी सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अतः अपेक्षित अभिलेख अविलम्ब तैयार करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही
8	वर्गीकृत सार

16 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित

है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

17 **विविध अनियमितताएं :-** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

18 **लघु-आपति विवरणिका :-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

19 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(vii) 30/2018 खण्ड–1–6231–6234 दिनांक–20.09.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881